न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**

आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
छगना पुत्र करमीजी जाति मेघवंशी निवासी पाल तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1.सरकार जरिए तहसीलदार रानीवाडा 2.श्रीमति शांतीदेवी पत्नि पारसमलजी जाति खटीक निवासी रानीवाडाकला तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील 19/2017

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

.....

पक्षकारान:-

1-श्री चुन्नीलाल अभिभाषक अपीलान्ट

2-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

3-श्री निखिल दवे, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक:-22.11.2017

1. अपीलान्ट के वकील ने यह अपील तहसीलदार रानीवाडा के आदेश दिनांक 11.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो प्रकरण संख्या 01/2016 अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक शांतीदेवी पत्नि पारसमल जाति खटीक बनाम छगना पुत्र करमीजी जाति मेघवाल में पारित किया गया है।

2. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर उनके अभिभाषक ने वकालतनामा प्रस्तुत कर पैरवी की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई ।

3. संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि शांतिदेवी पत्नि पारसमलजी जाति खटिक निवासी रानीवाडा कल्ला द्वारा एक दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 183 राज.टेनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत तहसीलदार रानीवाडा में इस आश्य की पेश की गई थी कि मौजा पाल तहसील रानीवाडा के खसरा नबंर 668/35 रकबा 0.80 हैक्टयेर भूमि पर अपीलांट द्वारा गलत रूप से कब्जा किया गया है । जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट मंगवाई गई। पटवारी हल्का द्वारा खसरा नबंर 668/35 मौजा पाल पर कब्जा माना तथा जरिये नोटिस अपीलांट को कब्जा हटाने के लिये नोटिस दिया गया तथा दोनो पक्षकार को नोटिस के बाद न्यायालय द्वारा धारा 183(बी) राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 के तहत कार्यवाही समाप्त की गई तथा न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया कि मामला सिविल नेचर का है तथा दोनो पक्षकार अनुसूचित जाति के है तथा धारा 183(बी) राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन नहीं आता है। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमति शांन्तीदेवी द्वारा जिला कलेक्टर जालोर में अपील दायर की। जिला कलेक्टर जालोर द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का फैसला निरस्त करते हुये पुन: प्रकरण धारा 183(बी) राज.टेनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश दिये साथ यह भी आदेश दिये कि अपीलांट श्रीमति शान्ति की भूमि पर यदि कब्जा किया है तो उसे नियमानुसार धारा 183(बी) राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उचित आदेश प्रदान करावे। पत्रावली पुन:तहसीलदार रानीवाडा को भेजी गई। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पुन:पत्रावली को रेकर्ड पर लेकर कार्यवाही शुरू की गई। दिनांक 02.02.2017 को सायल की तरफ से जबाब प्रस्तुत नही किया गया, जिससे अप्रार्थी द्वारा बोई गई फसल को कुर्क करने की दरख्वास्त पेश की गई। पत्रावली दिनांक 13.02.2017 को पेश की गई पटवारी हल्का द्वारा जांच कर रिपोर्ट पेश की गई कि खसरा नंबर 668/35 अलग से मौके पर कोई खसरा नबंर नहीं है। पुरा खसरा नबंर 35 में जीरे की फसल बोई हुई है तथा दोनों खसरो के बीच में कोई माठ नहीं है अर्थात खसरा नबंर 668/35 का कोइ अस्तित्व नहीं है। अलग से मौके पर कोई नबंर पर नहीं है। पत्रावली बिना साक्ष्य लिये बिना सबूत पेश किये पत्रावली बहस में रखी गई। बाद बहस तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 11.07.2017 को संक्षिप्त रूप से यह आदेश दिया गया कि खसरा नंबर 668/35 रकबा 0.68 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम खातेदार सायल की भूमि पर गैर सायल द्वारा कब्जा करने व अतिक्रमण माना जाकर बेदखली का आदेश दिया जाता है तथा जुर्माना 80/- रूपये आरोपित कर वसूल किये जावे व आदेश की पालना हेतु भू. अभिलेख निरीक्षण

जिला कलेक्टर, जालोर

व पटवारी हल्का कूडा को आदेश की पालना हेतु 15 दिन का समय देकर अपीलांट को कब्जे से बेदखल कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कब्जा करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट अपील पेश की है।

4. अपीलांट के वकील ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा द्वारा मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया तथा जानबूझ कर आदेश की पालना हेतु 15 दिन का समय दिया गया है, जबकि किसी भी आदेश की अपील करने की अवधि को निकालकर ही आदेश दिया जाता है तथा आदेश तथा डिक्री की पालना की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही मनमाने ढंग से की गई है। धारा 183 (बी) (7)के अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज.टेनेन्सी एक्ट 1955 की प्रकिया को दर्शाया गया है जिसके अन्तर्गत धारा 183 (बी) के अन्तर्गत समरी प्रोसेस के आदेश दिये है। परन्तु धारा में यह भी उल्लेखित किया गया है कि कोई भी न्यायालय समरी प्रोसेस के अन्तर्गत सीधे रूप से कोई आदेश नहीं देगा। दरख्वास्त पर सुनवाई का आदेश प्रदान करते हुए न्याय प्रकिया को अपनाते हुए आदेश दिया जाएगा। साथ ही सायल व गैर सायलान द्वारा गवाहो के भी बयान लिये जाएगे। न्यायालय तहसीलदार द्वारा जिला कलेक्टर की पत्रावली पर ब्यान नही लिये गये। दस्तावेजो का अवलोकन नहीं किया गया। धारा183(बी) राज. टेनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत अवधि 12 साल की बताई गई है परन्तु किसी व्यक्ति का पुराना कब्जा हो तथा लम्बे समय से कब्जा में हो ऐसे में धारा 183 (बी) लागू नहीं होती है। सायल को यह बताना पडेगा की कौनसी तारीख को कब उसको बेदखल किया गया तथा कौनसी तारीख को अतिक्रमी ने कब्जा किया। यदि अतिक्रमी का कब्जा लम्बे समय से है तो धारा 183(बी) लागू नहीं होता है। उक्त खसरा नंबर 668/35 मौजा पाल मूल ख्सरा नंबर 35 का भाग है। खसरा नंबर 35 का खातेदार अपीलांट है। अपीलांट को यह जमीन निशुल्कः आंवटन हुई है। निशुल्क आंवटन के बाद जीवनधारा के अर्न्तगत बेरा खुदवाया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलांट को गुमाराह करते हुये गलत बेचाननामा तैयार करवाया तथा बेचाननामें में गलत रूप से दिशा अंकित की तथा बिना अपीलांट की सहमति गलत बंटवाडा करवाते हुये अलग नंबर अंकित किया गया है। जबकि अपीलांट ने कभी कब्जा सुपुर्द नहीं किया ।श्रीमति शांती देवी कभी काबिज नहीं हुई।गलत रूप से खातेदार बनकर गलत रूप से नामान्तरकण भरवाते हुये खातेदार बनाया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार भी यह माने की मौजा पाल के खसरा नंबर 668/35 की आराजी के बीच कोई माठ नहीं है। केवल कागजो में अलग बताया गया है। बेचाननामे से लगाकर बंटवाडा तक कागजी कार्यवाही की गई है। बिना सक्षम आथेरिटी के बंटवाडा किया है। जोत का विभाजन तहसीलदारजी ही कर सकते है।दस्तावेज में अंकित पाडौस के आधार पर म्यूटेशन नहीं भरा जा सकता है। 183(बी) के अधिन यह बताना पडेगा कि कौनसी तारीख को अतिक्रमी ने कब्जा किया है तथा कौनसी तारीख तक खातेदार के कब्जे में था। धारा 183(बी) के प्रोसेस फोलो नहीं किया है। आदेश पूर्णतया मनमाना ढंग से है।

5. सरकारी वकील ने बहस में व्यक्त किया कि पारित आदेश विधीवत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के वकील ने बहस में तर्क दिया कि अधीन न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षो को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात विधी सम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार की जावे।

7. अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली का अवलोकन एवं अपील में वर्णित तथ्यो का परीक्षण किया गया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया।

अपीलार्थी ने अपील में यह अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा ने मनमाने ढंग से आदेश पारित किया है और 15 दिन का समय दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.07.2017 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था और अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया था। यह कहना गलत है कि तहसीलदार ने मनमाने ढंग से निर्णय पारित किया है। निर्णय के अवलोकन से इस कथन की पुष्ठी नहीं होती है कि आदेश कि पालना में 15 दिन का समय निर्णय की पालना हेतु दिया गया।

यदि कोई पत्राचार किया गया है तो वह निर्णय का हिस्सा नहीं होने से पढे जाने योग्य नहीं है और यहां यह उल्लेख किया जाना समिचिन होगा कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 81 के तहत पालना रूकवाने के लिये स्वंय सक्षम थे। जिसमें उन्होने कोई कार्यवाही नहीं गई अगर तहसीलदार द्वारा पालना हेतु कोई पत्र लिखा गया है तो इसमें भी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कोई गलती नहीं की है।

कलेक्टर, जालोर

अपीलार्थी/अप्रार्थी ने अपनी अपील में यह भी कथन किया है कि अतिक्रमण के मामलो में प्रार्थी को यह बताना होगा कि अप्रार्थी द्वारा कब कब्जा किया गया। यदि 12 साल से अधिक अवधि का पुराना कब्जा हो तो उस पर 183(बी) लागू नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमें प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा 2 माह पूर्व जीरे की फसल बो कर कब्जा किया गया है। इस तथ्य की ताईद पटवारी हल्का की रिपोर्ट से होती है। अपीलार्थी का कथन यह है कि उसके द्वारा बेचान की गई भूमि का कब्जा दिया ही नहीं गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह सिद्ध होता है।

अपीलार्थी का यह कथन है कि खसरा नंबर 35 एक ही खसरा था, जिसमें उसके द्वारा बेचान उपरांत नवीन खसरा नंबर 668/35 कायम किया गया है। वह बिना बंटवाडे के गलत है। अपीलार्थी/अप्रार्थी इस मुद्दे को धारा 183(बी) की कार्यवाही में चुनौति दी है, जो इस कार्यवाही में विचारण योग्य नहीं है।

अपीलार्थी के इस कथन से भी हम सहमत नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 183(बी) की पालना एवं उसमें वर्णित समरी प्रोसेस को फोलो नहीं किया है। जैसा कि उपर वर्णित अनुसार विवेचित किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है।

(बी.एल.कोठारा)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 22.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारा)
जिला कलेक्टर
जालोर